भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 868
04 दिसंबर, 2025 को उत्तर देने के लिए

भोजन की बर्बादी को कम करने संबंधी पहल

868. श्री बाबू सिंह कुशवाहा:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस तथ्य का संज्ञान लिया है कि हर साल बड़ी मात्रा में भोजन बर्बाद होता है और फसल कटाई के बाद कृषि उपज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बर्बाद हो जाता है;
(ख) यदि हां, तो देश में भोजन की बर्बादी को कम करने और खाद्य प्रसंस्करण अवसरंचना में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित पहलों का ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार की राय है कि किसानों की आय बढ़ाने और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए एक मजबूत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र महत्वपूर्ण है और यदि हां, तो इस संबंध में उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) से (ग): भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद– केंद्रीय फसलोत्तर अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आईसीएआर-सीआईपीएचईटी), वर्ष 2015 और नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड (नैबकॉन्स), वर्ष 2022 द्वारा किये गये अध्ययनों के अनुसार, भारत में विभिन्न कृषि उपज की कटाई और फसलोत्तर नुकसान का अनुमानित प्रतिशत निम्नानुसार है:

फसलें/वस्तुएं	**अनुमानित प्रतिशत हानि**	
	आईसीएआर-सीफेट अध्ययन के अनुसार (वर्ष 2015)	**नैबकॉन्स अध्ययन (वर्ष 2022) के अनुसार**
अनाज	4.65 - 5.99	3.89-5.92
दालें	6.36 - 8.41	5.65-6.74
तिलहन	3.08 - 9.96	2.87-7.51
फल	6.70-15.88	6.02-15.05
सब्ज़ियाँ	4.58-12.44	4.87-11.61
बागान फसलें और मसाले	1.18-7.89	1.29-7.33
दूध	0.92	0.87
मत्स्य पालन (अंतर्देशीय)	5.23	4.86
मत्स्य पालन (समुद्री)	10.52	8.76
मांस	2.71	2.34
मुर्गी पालन	6.74	5.63
अंडा	7.19	6.03

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई), प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) जैसी कई पहलों और योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का सम्पूर्ण विकास करना चाहता है । उपरोक्त वर्णित योजनाओं के अलग-अलग घटकों के तहत , एमओएफपीआई खेत से लेकर खुदरा दुकानों तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना सृजन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करता है। सृजित अवसंरचना और प्रदान की गई सहायता का उद्देश्य किसानों को बेहतर आय देना, रोज़गार के अवसर सृजित करना, अपव्यय कम करना, प्रसंस्करण का स्तर बढ़ाना और प्रसंस्कृत खाद्य का निर्यात बढ़ाना है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) वर्ष 2017-18 से पूरे देश में केंद्रीय क्षेत्र अम्ब्रेला योजना – प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) कार्यान्वित्त कर रहा है । पीएमकेएसवाई के तहत घटक योजनाएँ हैं (i) मेगा फूड पार्क (एमएफपी योजना- दिनांक 01.04.2021 से बंद), (ii) एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्यवर्धन अवसंरचना योजना (iii) कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना सृजन (एपीसी योजना), (iv) खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार (सीईएफपीपीसी योजना), (v) बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज सृजन (सीबीएफएल योजना- दिनांक 01.04.2021 से बंद) और (vi) ऑपरेशन ग्रीन्स (ओजी योजना)। ये योजनाएँ मांग आधारित हैं और निधि की उपलब्धता के आधार पर समय-समय पर अभिरुचि की अभिव्यक्ति जारी करके प्रस्ताव मंगाए जाते हैं। इन घटक योजनाओं के तहत, एमओएफपीआई खाद्य प्रसंस्करण परियोजना की स्थापना के लिए अनुदान सहायता/सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिससे शीत श्रृंखला अवसंरचना सहित प्रसंस्करण और परिरक्षण अवसंरचना दोनों तरह की अवसंरचना सुविधा सृजित होती हैं। घटक योजना के तहत सृजित सुविधाएँ कच्चे कृषि उत्पादों के परिरक्षण और प्रसंस्करण और कच्चे और तैयार प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के कुशल परिवहन में मदद करती हैं, जिससे कृषि उत्पादों के फसलोत्तर नुकसान कम होता है । पीएमकेएसवाई के तहत शुरू से अब तक देश भर में कुल 1619 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं**,** जिनमें से 31 अक्टूबर**,** 2025 तक 1181 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

एमओएफपीआई "प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना" के तहत देश में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम की स्थापना/उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करता है। यह सहायता पूरे देश में पीएमएफएमई योजना के तहत एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) उत्पाद समेत सभी उत्पादों के लिए भावी उद्यमियों को दी जाती है। यह योजना वर्ष 2020-21 से वर्ष 2025-26 तक कुल परिव्यय 10,000 करोड़ रूपए के साथ चालू है । दिनांक 31 अक्टूबर 2025 तक, बैंकों को 3,86,686 आवेदन भेजे जा चुके हैं और इनमें से 1,62,744 ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनकी सावधि ऋण राशि 13.23 हज़ार करोड़ रुपये है। 3,65,935 महिला एसएचजी सदस्यों के लिए 1244.95 करोड़ रुपये की प्रारभिक पूंजी सहायता स्वीकृत की गई है।

एमओफपीआई की खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएफएफपीआई) का उद्देश्य, अन्य बातों के अलावा, वैश्विक खाद्य विनिर्माण चैंपियन सृजन और अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांड्स को समर्थन करना है। यह योजना वर्ष 2021-22 से वर्ष 2026-27 तक छह वर्ष की अवधि के लिए 10,900 करोड़ ₹ के व्यय के साथ कार्यान्वित्त की जा रही है। दिनांक 31 अक्टूबर 2025 तक, इस योजना के तहत 170 आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिसमें लाभार्थियों ने 9,032 करोड़ ₹ के निवेश और 2162.55 करोड़ ₹ का प्रोत्साहन मिलने की जानकारी दी है। इसके अलावा, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) अवसंरचना, गुणवत्ता, बाजार विकास आदि के लिए अपनी विभिन्न योजनाओं के तहत प्रसंस्कृत खाद्य निर्यातकों को प्रोत्साहन प्रदान करता है। ये योजनाएं पूरे देश में कार्यान्वित्त की जाती हैं।

*****